संख्या–1611 / सैंतीस–2–2022–33(5) / 84–टी0सी0–1

प्रेषक,

देवेन्द्र कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1– निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग, उ0प्र0,
लखनऊ।

2– निदेशक,
रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र,
पशुपालन विभाग, उ0प्र0,
लखनऊ।

पशुधन अनुभाग–2 लखनऊ :: दिनांक 25 अगस्त, 2022

विषयः–वर्तमान में लम्पी स्किन डिजीज (LSD) के संक्रमण की आपात स्थिति के दृष्टिगत गोट पॉक्स वैक्सीन के क्रय हेतु विभागीय क्रय नीति में संशोधन / शिथिलीकरण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या–660 / क0प्र0से0 / ई–निविदा / वैक्सीन–।।। / 2022–23, दिनांक–24.08.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– इस संबंध में उपर्युक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव एवं वर्तमान में लम्पी स्किन डिजीज (LSD) के संक्रमण की आपात स्थिति के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा शासनादेश सं0–343 / सैंतीस– 2–2017–33(5) / 84 दि0–10.03.2017 में निम्नवत संशोधन / शिथिलीकरण किये जाने का निर्णय लिया गया हैः–

(1) विषय–"(ख) निविदा पात्रता की शर्तें" के बिन्दु–1

गोट पॉक्स वैक्सीन के मामले में मूल निर्माता लाईसेन्स के साथ 01 वर्ष का निर्विदित वैक्सीन बनाने का अनुभव हो, निविदा में भाग लेने के लिए पात्र होगा।

(2) विषय–"(ख) निविदा पात्रता की शर्तें" के बिन्दु–7

गोट पॉक्स वैक्सीन के मामले में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी 01 वर्ष का निर्विदित उत्पादों का औषधि नियंत्रक द्वारा जारी परफार्मेंस प्रमाण–पत्र मार्केट स्टेण्डिंग सर्टिफिकेट प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

Signed by देवेन्द्र कुमार
(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।
Date: 25-08-2022 19:15:34
Reason: Approved

संख्या–1611(1) / सैंतीस–2–2022तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी (प्रथम) लेखा अनुभाग, प्रयागराज।
2– निदेशक, उद्योग, उ0प्र0, कानपुर।
3– मुख्य ड्रग कन्ट्रोलर, उ0प्र0, लखनऊ।
4– समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5– वित्त नियंत्रक, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
6– सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम अनुभाग–2, उ0प्र0शासन।
7– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार द्विवेदी)
अनु सचिव।

33(5)84TC-1 SY